राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.7 / सांख्यिकी / प्रवर्तन / श्रम / 2010 जयपुर, दिनांकः 27 MAY 2016

परिपत्र

"बिजनैस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान, 2016" (BRAP-2016) के तहत Ease of Doing Business (EoDB) के निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न श्रम अधिनियमों / नियमों के अन्तर्गत प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में जारी विभागीय परिपत्र क्र0 12216 दि0 25.05.2016 को अधिक्रमित (Supersede) करते हुए निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. परिपत्र क्र0 19325 दि0 27.10.2015 के बिन्दु सं0 1 में प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले संस्थानों की सूची विभागीय पोर्टल LDMS द्वारा 'कम्प्यूटराईज्ड रिस्क असेसस्टमेंट' के आधार पर रेण्डम बेसिस पर जारी करने के निर्देश दिये जा चुके है। इस संबंध में यह और स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक निरीक्षक का भौगोलिक क्षेत्राधिकार पूरा संभाग (Division) होगा तथा निरीक्षकों का चयन (Allocation) भी LDMS द्वारा रेण्डम आधार पर किया जायेगा।

2. प्रत्येक निरीक्षक द्वारा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों का प्रतिमाह 8 दिन निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रतिदिन किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार प्रतिमाह कुल 24 निरीक्षण निम्नानुसार सम्पादित किये जायेगें :–

1.	शॉप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 10 निरीक्षण
2.	ठेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 4 निरीक्षण
3.	बीओसीडब्ल्यू एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 2 निरीक्षण
4.	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 5 निरीक्षण
5.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कस एक्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 1 निरीक्षण
6.	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 1 निरीक्षण
7.	इन्टर स्टेट माईग्रेन्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान	– 1 निरीक्षण
	कुल निरीक्षण प्रतिमाह	24 निरीक्षण

3. उपरोक्तानुसार 24 निरीक्षण कार्य निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत किये जायेगें :–
   1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
   2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

3. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम, 1955
4. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
5. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
6. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
7. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
8. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966
9. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
11. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
12. विक्रय सवंर्धन कर्मकार(सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
13. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979
14. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
15. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996

4. निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के 48 घंटे में निरीक्षण रिपोर्ट को LDMS अपलोड करने के बाद कार्यालय अध्यक्ष द्वारा फॉलोअप कार्यवाही की जायेगी। यदि निरीक्षण रिपोर्ट में अधिनियम/नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है तो फॉलोअप में निरीक्षण पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि निरीक्षण में अधिनियम/नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उल्लंघनों की पूर्ति करने हेतु संस्थान को 15 दिवस का समय दिया जायेगा। यदि संस्थान द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर दी जाती है तो निरीक्षण पर कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी। यदि निर्धारित समय में आक्षेपों की पूर्ति संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निरीक्षक को न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान कर दी जायेगी।

5. निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यम जोखिम वाले संस्थान (Medium Risk Industries) के लिए **'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन'** तथा निम्न जोखिम वाले संस्थान (Low Risk Industries) के लिए **'सैल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम'** अपनाने की व्यवस्था लागू की जानी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम वाले संस्थानों का वर्गीकरण तथा उनमें निरीक्षण के मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं। इसके आधार पर LDMS Web Application में Risk Assessment द्वारा संस्थानों के निरीक्षण के लिए Randomized Computer प्रणाली से विभिन्न श्रम अधिनियमों व उनके

अन्तर्गत बने नियमों के तहत निर्धारित मानकों का ध्यान रखते हुए निरीक्षणों की संख्या व निरीक्षण आवंटित किए जायेगें।

(a) <u>उच्च जोखिम वाले संस्थान (High Risk Industries)</u> - उच्च जोखिम वाले संस्थानों में उनके सामने निम्नानुसार अंकित भार (Weight) के आधार पर जोखिम का स्तर निर्धारित करते हुए जिन संस्थानों को 30 से अधिक भार (Weight) प्राप्त होगा, ऐसे जोखिम पूर्ण संस्थानों का निरीक्षण एक वर्ष में एक से अधिक बार किया जायेगा। 30 अथवा 30 से कम भार प्राप्त करने वाले संस्थानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण हेतु संस्थान का चयन कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम LDMS द्वारा रेन्डम पद्धति से रिस्क बेस्ड असेसमेंट के आधार पर किया जायेगा :–

क्र. सं.	निरीक्षण के मापदण्ड हेतु भार निर्धारण के बिन्दु	भार
1.	201 से 300 श्रमिक नियोजित करने वाले कारखाने/औद्योगिक प्रतिष्ठान/दुकान व वाणिज्यिक संस्थान जिन्हें क्लोजर, छंटनी करने से पूर्व स्वीकृति की आवश्कयता नहीं हैं।	10
2.	ऐसे संस्थान, जिन्होंने किसी भी श्रम अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं कराया है (कारखाना अधिनियम/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम/मोटर ट्रांसपोर्ट श्रमिक अधिनियम/बीओसीडब्ल्यू अधिनियम)	5
3.	ऐसे संस्थान, जिन्होंने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं करवाये हैं।	4
4.	ऐसे संस्थान, जिनके सम्बन्ध में गत 3 वर्षों में मजदूरी भुगतान, बोनस, ग्रेच्युटी, पी.एफ., ई.एस.आई., कर्मचारी क्षतिपूर्ति मुआवजा, ओवर टाईम तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया हो।	10
5.	ऐसे संस्थान जहां गत 3 वर्षों में हड़ताल या तालाबन्दी हुई है।	4
6.	ऐसे संस्थान जहां गत 3 वर्षों में कोई प्राणघातक दुर्घटना घटित हुई हो।	5
7.	ऐसे संस्थान, जहां दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन पंजीकृत हों और कोई भी यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं हो।	5
8.	ऐसे संस्थान, जहां कुल नियोजित श्रमिकों के 50 प्रतिशत से अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हों अथवा 50 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक काम करती हों।	10
9.	वे कारखाने, जो कारखाना अधिनियम की धारा 41(b) के तहत् मेजर एक्सीडेंट हजार्ड के रूप में पंजीकृत हैं।	10
10.	वे कारखाने, जो कारखाना अधिनियम की धारा 2 (सी)(बी) तथा धारा 87 के तहत खतरनाक श्रेणी में पंजीकृत है।	10
11.	वे संस्थान, जिनमें गत एक वर्ष में बंधक अथवा बाल श्रमिक नियोजित पाये गये हों।	8
12.	वे संस्थान, जिनमें गत एक वर्ष में कोई विस्फोटक घटना अथवा अग्निकाण्ड हुआ है।	5

13.	वे संस्थान, जिनके विरूद्ध गत एक वर्ष में कोई गंभीर अपराध दर्ज हुआ है।	5
14.	ऐसे संस्थान जिसने निर्धारित अवधि में रिटर्न प्रस्तुत नहीं की हो	4
15.	वे संस्थान, जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।	5
	कुल भार योग	100
	नोट :–राज्य सरकार/जिला कलक्टर/न्यायालय/मानवाधिकार आयोग/ लोकायुक्त के निर्देश/निर्वाचित जनप्रतिधि द्वारा शिकायत करने पर संस्थान का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है।	

(b) <u>मध्यम जोखिम वाले संस्थान (Medium Risk Industries)</u> -मध्यम जोखिम वाले संस्थानों में **"थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन"** के मापदण्ड निम्नानुसार अंकित भार (Weight) के आधार पर जोखिम का स्तर निर्धारित करते हुए लागू किये जायेंगेः–

1.	1 से 200 तक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखाने/औद्योगिक प्रतिष्ठान/दुकान व वाणिज्यिक संस्थान जिन्हें क्लोजर, छंटनी करने से पूर्व स्वीकृति की आवश्कयता नहीं हैं।	15
2.	ऐसे संस्थान, जहां दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन हों लेकिन उनमें से कोई एक मान्यता प्राप्त हो तथा जिसके साथ द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौते सम्पन्न किये जाते हों।	10
3.	ऐसे संस्थान, जिनके सम्बन्ध में गत 3 वर्षों में मजदूरी भुगतान, बोनस, ग्रेच्युटी, पी.एफ., ई.एस.आई., कर्मचारी क्षतिपूर्ति मुआवजा, ओवर टाईम तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन न्यायालय में अभियोजन दायर नहीं किया गया हो।	15
4.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत स्थायी आदेश प्रमाणित करा चुके संस्थान ।	10
5.	ऐसे संस्थान जो किसी न किसी श्रम अधिनियम के तहत पंजीकृत हों (कारखाना अधिनियम/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम/मोटर ट्रांसपोर्ट श्रमिक अधिनियम/बीओसीडब्ल्यू अधिनियम)	10
6.	ऐसे संस्थान, जहां गत 3 वर्षों में हड़ताल या तालाबन्दी की घटना नहीं हुई हो।	15
7.	ऐसे संस्थान, जहां गत 3 वर्षों में कोई प्राणघातक दुर्घटना घटित नहीं हुई हो।	10
8.	ऐसे संस्थान, जहां कुल नियोजित श्रमिकों के 50 प्रतिशत से कम ठेका श्रमिक नियोजित हों अथवा 50 प्रतिशत से कम महिला श्रमिक काम करती हों।	15
	कुल भार योग	100
	<u>थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अवधि</u> 1. ऐसे संस्थान, जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 12189 दिनांक 25.05.2016 के अनुसार 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' प्रस्तुत किया है, उन संस्थानों के निरीक्षण के बजाय दो वर्षों के लिए 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' स्वीकार किया जायेगा तथा तीसरे वर्ष कम्प्यूटर द्वारा रेन्डम पद्धति से चयन होने पर संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। तीसरे वर्ष के निरीक्षण में कोई उल्लंघन न पाये जाने पर पुनः आगामी दो वर्षों के लिए निरीक्षण के बजाय 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' स्वीकार किया जायेगा।	

	2. इसके अतिरिक्त जिन संस्थानों ने 40 या उससे कम भार प्राप्त किया है और उनके द्वारा 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' प्रस्तुत किया गया है, उन संस्थानों के निरीक्षण के बजाय एक वर्ष के लिए 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' स्वीकार किया जायेगा तथा दूसरे वर्ष कम्प्यूटर द्वारा रेन्डम पद्धति से चयन कर संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। दूसरे वर्ष के निरीक्षण में कोई उल्लंघन न पाये जाने पर पुनः आगामी एक वर्ष के लिए निरीक्षण के स्थान पर 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' स्वीकार किया जायेगा। इस प्रकार 40 या उससे कम भार प्राप्त करने वाले संस्थानों के सम्बन्ध में एकान्तर वर्षो में निरीक्षण के स्थान पर 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' स्वीकार किया जायेगा।

(c) <u>निम्न जोखिम वाले संस्थान (Low Risk Industries)-</u> निम्न जोखिम वाले संस्थानों में सैल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के मापदण्ड उनके सामने कोष्ठक में निम्नानुसार अंकित भार (Weight) के आधार पर जोखिम का स्तर निर्धारित करते हुए लागू किये जायेगें:–

1.	300 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखाने/औद्योगिक प्रतिष्ठान/दुकान व वाणिज्यिक संस्थान जिन्हें क्लोजर, छंटनी करने से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।	15
2.	ऐसे संस्थान जो किसी न किसी श्रम अधिनियम के तहत पंजीयन हों (कारखाना अधिनियम/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम/मोटर ट्रांसपोर्ट श्रमिक अधिनियम/बीओसीडब्ल्यू अधिनियम)	10
3.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत स्थायी आदेश प्रमाणित करा चुके संस्थान ।	10
4.	ऐसे संस्थान, जिनके सम्बन्ध में गत 3 वर्षों में मजदूरी भुगतान, बोनस, ग्रेच्युटी, पी. एफ., ई.एस.आई., कर्मचारी क्षतिपूर्ति मुआवजा, ओवर टाईम तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।	15
5.	ऐसे संस्थान, जहां गत 3 वर्षों में हड़ताल या तालाबन्दी की घटना नहीं हुई है।	15
6.	ऐसे संस्थान, जहां गत 3 वर्षों में कोई प्राणघातक दुर्घटना घटित नहीं हुई है।	10
7.	ऐसे संस्थान, जहां केवल एक ट्रेड यूनियन पंजीकृत हो तथा मान्यता प्राप्त हो।	10
8.	ऐसे संस्थान जहां कुल नियोजित श्रमिकों के 50 प्रतिशत से कम ठेका श्रमिक नियोजित हों अथवा 50 प्रतिशत से कम महिला श्रमिक काम करती हों।	15
	कुल भार योग	**100**

<u>सैल्फ सर्टिफिकेशन अवधि</u> – ऐसे संस्थान, जिन्होंने 50 से अधिक भार प्राप्त किया है और विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.05.2005 के द्वारा प्रकाशित 'सैल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम' में पंजीयन कराया है उन्हें 5 वर्ष के लिए 'सैल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम' का लाभ प्रदान किया जायेगा तथा जिन संस्थानों ने 50 या उससे कम भार प्राप्त किया है उनके लिए यह अवधि 3 वर्ष होगी।

(d) नवीन एम.एस.एम.ई. (MSME) एवं स्टॉर्टअप इकाइयाँ– लघु, मध्यम, एवं सूक्ष्म उद्योग तथा स्टॉर्टअप ईकाइयाँ, जो 01.04.2013 के पश्चात पंजीकृत हुई है, उनमें निरीक्षण अपवाद स्वरूप गंभीर शिकायतें/सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ही विभागाध्यक्ष की अनुमति लेकर किया जायेगा अन्यथा सामान्य रूप से ऐसी इकाइयों में निरीक्षण नहीं किया जायेगा

(e) सभी ईकाईयों हेतु स्वप्रमाणित रिटर्न सुविधा– श्रम कानूनों के अन्तर्गत Single Integrated Return प्रस्तुत करने की सुविधा सभी श्रेणियों के समस्त कारखानों तथा औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों को उपलब्ध होगी जिनमें मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग एम. एस.एम.ई. तथा स्टार्टअप ईकाईयाँ भी सम्मिलित है।

मध्यम जोखिम वाले संस्थान (Medium Risk Industries) तथा निम्न जोखिम वाले संस्थान (Low Risk Industries), जिन्होंने क्रमशः 'थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन' अथवा 'सैल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम' का उपयोग नहीं किया है, ऐसे संस्थानों का निरीक्षण वर्ष में एक बार "कम्प्यूटराईज्ड रिस्क असेसमेन्ट" के आधार पर किया जायेगा।

27-05-2016

(नन्नूमल पहाडिया)
श्रम आयुक्त

क्रमांक :– एफ.7/सांख्यिकी/प्रवर्तन/श्रम/2010 जयपुर, दिनांक: 27 MAY 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी..... ..... मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, ...
5. गार्ड पत्रावली।

27.5.16

(सी.बी.एस. राठौड़)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त,(आई.आर.)

Government of Rajasthan

Labour Department

No. F.7/Statistics/Enforcement/Labour/2010 Jaipur, Dated: 27th May 2016

CIRCULAR

In supersession of the departmental circular No 12216 dtd. 25/05/2016 issued regarding Enforcement under various labour laws/rules, keeping in view the prescribed parameters of Ease of Doing Business (EoDB) under Business Reforms Action Plan-2016 (BRAP-2016), the following directions are issued:

1. In point no. 1 of Circular No. 19325 dtd. 27/10/2015, directions have already been issued regarding conducting of inspections every month as per the list of establishments generated randomly on the basis of Computerized Risk Assessment on departmental web application (LDMS). It is further clarified that the Geographical Jurisdiction of each inspector will be the whole Division and the allocation of inspectors will be done randomly by departmental web application (LDMS).
2. Each inspector will inspect the establishments registered under labour laws for Eight (8) days in a month and the number of inspections carried out per day will be three (3). This way the total number of inspections carried out per month will be 24, as under:

1.	Establishments registered under The Shop Act -	10 Inspections
2.	Establishments registered under The Contract Labour Act -	4 Inspections
3.	Establishments registered under The BOCW Act -	2 Inspections
4.	Establishments registered under The Factories Act -	5 Inspections
5.	Establishments registered under The Motor Transport Workers' Act-	1 Inspection
6.	Establishments registered under The Beedi & Cigar Act -	1 Inspection
7.	Establishments registered under The Inter-state Migrant Workers Act-	1 Inspection
	Total Inspections per month	24 Inspections

3. Per month 24 inspections as mentioned above will be carried out under the following labour laws:
    1. Payment of Wages Act, 1936
    2. Minimum Wages Act, 1948
    3. Working Journalist & other Newspaper Employees' Act, 1955
    4. Rajasthan Shops & Commercial Establishments Act, 1958
    5. Maternity Benefit Act, 1961
    6. Motor Transport Workers Act, 1961
    7. Payment of Bonus Act, 1965
    8. Beedi & Cigar Workers (Conditions of Services) Act, 1966
    9. Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970
    10. Payment of Gratuity Act, 1972

11. Equal Remuneration Act, 1976
12. Sales Promotion Employees (Conditions of Services) Act, 1976
13. Inter-State Migrant Workers (Employment, Regulation & Conditions of Service) Act, 1979
14. Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986
15. Building & other Construction workers (Employment, Regulation & Conditions of Services) Act, 1996

4. The follow up action will be taken up by the Head of the Office after uploading the inspection report on LDMS by the inspector within 48 hours of conducting the inspection. No further action will be taken on the inspection report if no violation of act/rules is found in the inspection report. If any violation of any act/rule is found then a 15 days period will be given to the establishment for the compliance of the violations. If the establishment complies with the objections, further proceeding on inspection report will end here. If no compliance is presented by the establishment within the prescribed time limit then sanction will be issued to the inspector to file prosecution in the court against the establishment as per rules.
5. The provisions have been made to provide the benefits of Third Party Certification to Medium Risk Industries and Self Certification Scheme to Low Risk Industries according to prescribed norms. For this purpose, the classification of High, Medium & Low risk industries and norms for the inspections there under are fixed as mentioned below. On the basis of this classification, the number of inspections to be carried out under various labour laws and rules there under and the allocation of inspectors will be, generated by randomized computer system and risk assessment of the establishment by the LDMS web application.
    a. **High Risk Industries**- According to weight points, in the High Risk Industries, as mentioned against their names mentioned below, those industries which get the weight points of more than 30 will be inspected more than once in a year. Those industries which get 30 or less than 30 weight points will be inspected only once in a year. Establishments for the inspections will be selected randomly on risk based assessment by the computerized web application (LDMS).

S. No	Criteria for determination of Weight points for inspection	Weight
1	The factories/industrial establishments/shops & Commercial establishments employing 201-300 workers who do not require prior permission for the closure, retrenchment	10
2	Those establishments which are not registered under any labour laws (Factories Act/Rajasthan Shops & Comm. Establishments Act/Motor Transport Workers Act/BOCW Act	5
3	Those establishments which have not got certified, the standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act	4
4	Those establishments in respect of whom complaints regarding payment of wages, bonus, gratuity, PF, ESI, employees compensation, overtime and health and safety of the workers etc. have been received and the prosecution has been filed in the courts	10
5	Those establishments in which strikes or lockouts reported during last 3 years	4

6	Those establishments in which fatal accidents reported during last 3 years	5
7	Those establishments in which 2 or more Trade Unions are registered and none of them is recognized	5
8	Those establishments in which more than 50% contractual workers or more than 50% women workers are employed	10
9	Those factories which are registered as Major Accident Hazard (MAH) under section 41(b) of the Factories Act	10
10	Those factories which are registered as dangerous operations under section 2 (c)(b) and section 87 of the Factories Act	10
11	Those establishments in which Bonded or Child Labour were found during last 1 year	8
12	Those establishments in which any explosive or fire incident happened during last 1 year	5
13	Those establishments against whom any serious offense has been registered during last 1 year	5
14	Those establishments who have not submitted return in the prescribed period	4
15	Those establishments who have been convicted by any court of law during last one year	5
	Total Weight Points	100
	Note: - On the basis of complaint/instruction received from The State Government/District Collector/Court /National Human Rights Commission/Lokayukta/Elected Public Representative, inspection of the establishment concerned may be carried out at any time	

b. **Medium Risk Industries** – The risk assessment in the Medium risk industries and the norms for Third Party Certification are fixed according to weight points as mentioned below:

S. No	**Criteria for determination of weight points for inspection**	**Weight**
1	The factories/industrial establishments/shops & Commercial establishments employing 201-300 workers who do not require prior permission for the closure, retrenchment	15
2	Those establishments in which 2 or more trade unions are registered and at least one of them is recognized and with whom bipartite/tripartite agreements are being executed	10
3	Those establishments in respect of whom complaints regarding payment of wages, bonus, gratuity, PF, ESI, employees compensation, overtime and health and safety of the workers etc. have been received but no prosecution has been filed in the courts	15
4	Those establishments which have got certified the Standing Orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act	10
5	Those establishments which are registered under any labour laws (Factories Act/Rajasthan Shops & Comm. Establishments Act/Motor Transport Workers Act/BOCW Act)	10
6	Those establishments in which no strikes or lockouts reported during last 3 years	15

7	Those establishments in which no fatal accidents reported during last 3 years	10
8	Those establishments in which less than 50% contractual workers or less than 50% women workers are employed	15
	Total Weight Points	100
	Period of Third Party Certification: - 1. Third Party Certification will be accepted for the period of 2 years in place of inspections of those establishments who have produced Third Party Certification according to departmental circular no 12189 dtd. 25/05/2016 and have acquired more than 40 weight points as above. For the third year, the establishment will be inspected on the basis of selection by the computer system randomly. If no violation is found in the inspection during third year, Third Party Certification will be accepted for the next 2 years. 2. Third Party Certification will be accepted for the period of 1 year in place of inspections of those establishments who have produced Third Party Certification and have acquired less than 40 weight points as above. For the second year, the establishment will be inspected on the basis of selection by the computer system randomly. If no violation is found in the inspection during second year, Third Party Certification will be accepted for the next 1 year. Thus, Third Party Certification will be accepted for alternate years for those establishments who have acquired less than 40 weight points.	

c. **Low Risk Industries** – The risk assessment in the Low Risk Industries and the norms for Self Certification Scheme are fixed according to weight points as mentioned below:

S. No	**Criteria for determination of weight points for inspection**	**Weight**
1	The factories/industrial establishments/shops & Commercial establishments employing more than 300 workers who require prior permission before the closure or retrenchment	15
2	Those establishments which are registered under any labour laws (Factories Act/Rajasthan Shops & Comm. Establishments Act/Motor Transport Workers Act/BOCW Act)	10
3	Those establishments which have got certified the Standing Orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act	10
4	Those establishments in respect of whom no complaints regarding payment of wages, bonus, gratuity, PF, ESI, employees compensation, overtime and health and safety of the workers , etc. have been received during last 3 years	15
5	Those establishments in which no strikes or lockouts reported during last 3 years	15
6	Those establishments in which no fatal accidents reported during last 3 years	10
7	Those establishments in which only one union is registered and which is recognized	10
8	Those establishments in which less than 50% contractual workers or less than	15

	50% women workers are employed	
	Total Weight Points	100
	Period of Self Certification Scheme: The benefit of Self Certification Scheme will be provided for 5 years to Low Risk Industries who have registered under the Self Certification Scheme of the department published vide departmental notification dtd. 11/05/2005 and have acquired more than 50 weight points as mentioned above. Those establishments who acquire 50 or less weight points, the period of this scheme will be available for 3 years.	

d. **New MSME & startup units** – Generally no inspections will be carried out in MSME and startup units who are registered after 01/04/2013. Any inspection in such units will be carried out exceptionally and only in case of serious complaints/information received after getting prior approval from the Head of the Department.

e. **The facility of Self Certified Returns for all units** – The facility of submission of Single Integrated Return under all labour laws will be available to all categories of factories, industrial & commercial establishments which includes medium, small, micro industries and startup units

Those Medium Risk Industries and Low Risk Industries who have not opted for the Third Party Certification or Self Certification Scheme respectively, will be inspected once in a year on the basis of computerized risk assessment.

Sd/-
(Nannumal Pahadiya)
Labour Commissioner

No. F.7/Statistics/Inspection/Labour/2010 Jaipur, Dtd. 27/05/2016

Copy for Information and Necessary Action:

1. SA to Hon'ble MOS (Independent Charge) Labour & Employment, GOR, Jaipur
2. PS to Secretary Labour & Employment, GOR, Jaipur
3. All Additional/Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners/Labour Welfare Officers, HQ, Rajasthan, Jaipur
4. All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners/Labour Welfare Officers
5. Guard File

Sd/-
(CBS Rathore)
Addl. Labour Commissioner (IR)

ラージャスターン州政府

労働省

No. F.7/Statistics/Enforcement/Labour/2010　　ジャイプル, 日付: 27-5-2016

回覧

事業改革行動計画-2016（BRAP-2016）の下で事業を行うやすさ（EoDB）の規定の条件を考慮して様々な労働法・規則の下での法執行に関する2016年5月25日に発行された部門の回覧番号12216の取り換えの為に、下記の指示が発行されます：

1. 2015年10月27日付の回覧番号19325の項目１にて、部門のウェブアプリケーション（LDMS）によってコンピューター化されたリスク評価に従い無作為に発行される施設のリストを基に毎月検査を行うことに関して、既に指示が発行されています。各検査官の地理的な管轄はすべての区分であり、検査官の配分はウェブアプリケーション（LDMS）によって無作為に行われるとさらに明らかになりました。
2. 各検査官は労働法の下で登録された施設を月に8日間検査する、そして1日に3つの検査回数が行います。この方法では、月ごとに実行される検査の総数は下記のように24になります：

1. ショップ法の下で登録された施設	10点検査
2. 契約労働法の下で登録された施設	4点検査
3. 建物やその他の建設労働法の下で登録された施設	2点検査
4. 会社法の下で登録された施設	5点検査
5. モーター運輸労働者法の下で登録された施設	1点検査
6. Beedi & Cigar法の下で登録された施設	1点検査
7. 国家間移住労働者法の下で登録された施設	1点検査
毎月検査の合計数	24点検査

3. 以下の労働法の下で、上述の24点検査が行われます：
   1. 1936年の賃金支払法
   2. 1948年の最低賃金法
   3. 1955年の労働ジャーナリストや他の新聞従業員法
   4. 1958年のRajasthan州ショップ＆商業施設法
   5. 1961年の出産給付法
   6. 1961年のモーター運輸労働者法
   7. 1965年の賞与支払法
   8. 1966年のBeedi & Cigar労働者（サービスの状態）法
   9. 1970年の契約労働者（規制と廃止）法
   10. 1972年の退職金支払法
   11. 1976年の同一報酬法
   12. 1976年の営業推進従業員（サービスの状態）法
   13. 1979年の国家間移住労働者（雇用、規制及びサービスの状態）法
   14. 1986年の児童労働（禁止と規制）法

15. 1996年の建物やその他の建設労働者（雇用、規制及びサービスの状態）法

4. 事務所長は、検査官によりLDMSに検査報告書がアップロードされてから、検査を行うの48時間以内にフォローアップアクションを取ること。検査報告書で法・規定の違反が発見されていない場合は、検査報告書に対してそれ以上のアクションは取られません。検査報告書で法・規定の違反が発見された場合には、違反の遵守の為に施設に15日間の期間が与えられます。施設は異議に準拠すれば、検査報告書のその先の手続きがここで終了されます。施設によって所定の制限期間内に準拠が提示されなければ、検査官が裁判所に施設に対して規定通りに控訴を提出するように許可される。
5. 定の規範に従って、リスクの中レベルの産業に第三者認証の利点を与えたり、リス子の低レベルの産業に自己認証制度の利点を当てたりするように規定が作成されました。この目的のために、検査のためのリスクの高、中、低レベル作業で分類及び規範が後述のように確定されています。この分類に基づき、様々の労働法や規則の下で実行される検査数、そして検査官の配分は無作為化されたコンピュータシステムにより発行される、そして施設のリスク評価はLDMSウェブアプリケーションにより行われる。
    a. <u>リスクの高い産業</u> - 重みのポイントによると、リスクの高い産業は、下記に述べたそれらの名前に対し、重みポイントを30以上になった産業は年1回以上検査されます。重みポイントを30未満になった産業は年1回検査されます。検査のための施設は、コンピュータ化されたウェブアプリケーション（LDMS）によりリスクに基づく評価で無作為に選ばれます。

連番	検査のために重みポイントの決意基準	重み
1	201-301人の労働者を従事していて、閉鎖、縮小をする前に許可が必要としない工場・産業施設・ショップや商業施設	10
2	どの労働法（工場法、Rajasthan州ショップ＆商業施設法、モーター運輸労働者法、建物やその他の建設労働者法）の下でも登録されていない施設	5
3	工業雇用（服務規程）法の下で服務規程が認定されていない施設	4
4	賃金、賞与、PF,ESI,従業員の給与、残業の支払いや労働者の安全及び健康に関して苦情を受信され、裁判所に控訴が提出されている施設	10
5	過去3年間にストライキやロックアウトが報告された施設	4
6	過去3年間に致命的な事故が報告された施設	5
7	２つ以上の労働組合が登録されており、それらのどれも認められていない施設	5
8	50%以上契約労働者または50%以上の女性労働者を雇用している施設	10
9	工場法のセクション41（b）のMajor Accident Hazard（重大な事故の危険、MAH）として登録されている工場	10
10	工場法のセクション2 (c)(b)とセクション87の下で危険の操作として登録されている工場	10
11	過去1年間に税や児童労働者が発見された施設	8
12	過去1年間に、爆発や火災事件が起こった施設	5
13	過去1年間にいずれかの重大な犯罪が登録されている施設	5
14	所定期間内のリターンを提出していない施設	4
15	過去1年間にいずれかの裁判所により有罪とされた施設	5
	総重みポイント	100

	注意: - 州政府・区の治安判事・裁判所・国家人権委員会・ Lokayukta・選出公共代表からの苦情・指示に基づいて、関連する施設の検査は随時実行してもよい。	

b. <u>リスクの中産業</u> – リスクの中産業のリスク評価と第三者認証の規範は重みポイントに応じ、後述のように確定されます：

連番	検査のために重みポイントの決意基準	重み
1	201-301人の労働者を従事していて、閉鎖、縮小をする前に許可が必要としない工場・産業施設・ショップや商業施設	15
2	２つ以上の労働組合が登録されており、そのうちの少なくとも１つは認められていて、それと一緒に２者・３者契約が実行されている施設	10
3	賃金、賞与、PF,ESI,従業員の給与、残業の支払いや労働者の安全及び健康に関して苦情を受信された、しかし裁判所に控訴が提出されていない施設	15
4	工業雇用（服務規程）法の下で服務規程が認定されている施設	10
5	任意の労働法（工場法、Rajasthan州ショップ＆商業施設法、モーター運輸労働者法、建物やその他の建設労働者法）の下でも登録されている施設	10
6	過去3年間にストライキやロックアウトが報告されていない施設	15
7	過去3年間に致命的な事故が報告されていない施設	10
8	50%以下契約労働者または50%以下の女性労働者を雇用している施設	15
	総重みポイント	100
	第三者認証の期間：- 1. 第三者認証は、2016年５月２５日付の部門の回覧番号12189従って、第三者認証を提示していて、上記のように40ポイント以上習得した施設から検査の代わりに2年間の期間のために受理されます。3年目は、施設がコンピュータシステムにより無作為の選択に基づき検査されます。 2. 第三者認証は、第三者認証を提示していて、上記のように40ポイント以下習得した施設から検査の代わりに1年間の期間のために受理されます。2年目は、施設がコンピュータシステムにより無作為の選択に基づき検査されます。2年目の検査では、違反が発見されなけらば次の1年の為に第三者認証が受理されます。したがって、第三者認証は、40未満の重みポイントを獲得している施設から代替年間に受理されます。	

c. <u>リスクの低い産業</u> – リスクの低い産業のリスク評価と自己認証制度の規範は重みポイントに応じ、後述のように確定されます：

連番	検査のために重みポイントの決意基準	重み
1	300人以上の労働者を従事していて、閉鎖、縮小をする前に許可が必要とされる工場・産業施設・ショップや商業施設	15
2	任意の労働法（工場法、Rajasthan州ショップ＆商業施設法、モーター運輸労働者法、建物やその他の建設労働者法）の下でも登録されている施設	10
3	工業雇用（服務規程）法の下で服務規程が認定されている施設	10

4	過去3年間で賃金、賞与、PF,ESI,従業員の給与、残業の支払いや労働者の安全及び健康に関して苦情を受信されていない施設	15
5	過去3年間にストライキやロックアウトが報告されていない施設	15
6	過去3年間に致命的な事故が報告されていない施設	10
7	50%以下契約労働者または50%以下の女性労働者を雇用している施設	15
	総重みポイント	100
	自己認証制度の期間：- 自己認証制度の利点は、2005年5月11日付の部門公開見よ部門通知書の自己認証制度の下で登録されたリスクの低い産業であって、重みポイント50以上獲得する施設に5年間のために与えられます。 50以下の重みポイントを獲得する施設には、この制度期間は3年間利用できるようになります。	

d. <u>新しい**MSME**（マイクロ、中小企業）及び立上施設</u> – 2013年4月1日から、MSME及び立上施設では普通検査が実行されません。このような施設内では任意の検査は、重大クレーム・情報を受信した場合には部長からの事前承認を得た後に例外的にのみ実行施されます。
e. <u>全施設においての自己認定施設</u> – すべての労働法の下で単一の統合リターンの提出の機能は、中、小、マイクロ業界や立ち上げ施設を含めて全カテゴリーの工場、産業及び商業施設利用できるようになります。

第三者認証または自己認証制度を選んでいないそれぞれのリスクの中産業とリスクの低い産業は、コンピュータ化リスク評価に基づいて年1回検査されます。

Sd/-

(Nannumal Pahadiya)
労働長官

No. F.7/Statistics/Inspection/Labour/2010 Jaipur, Dtd. 27/05/2016

情報及び必要のアクションの為にコピーが送付される：

1. Rajasthan州政府の労働雇用の閣下大臣（独立担当）のSA、Jaipur市
2. Rajasthan州政府の労働雇用、書記の秘書、Jaipur市
3. Rajasthan州の全ての（副）労働長官・労働役員・本社、Jaipur市
4. All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners/Labour Welfare Officers
5. Guard File

Sd/-

(CBS Rathore)
Addl. Labour Commissioner (IR)